न्यायालय उप खण्ड अधिकारी, सोजत जिला पाली
पीठासीन अधिकारीः— श्री गोपाल जांगिड़ (आर.ए.एस.)

राजस्व प्रार्थना–पत्र संख्या :— 13/2019

प्रार्थीगणः—	बनाम	अप्रार्थीगणः—
1. रमजान खां पुत्र बाबु खां		1. डूंगरसिंह पुत्र हिम्मतसिंह जाति दैया
2. सफुरी बेवा बाबु खां		2. सुजाराम पुत्र मोडाराम जाति देवासी
3. रसीदा बेवा फिरोज खां जातिगण मोयला मुसलमान निवासीगण पांचवा कलां तहसील सोजत जिला पाली राज.		3. मोहन कुम्हार जे.सी.बी. चालक हाल पांचवा कलां, तहसील सोजत जिला पाली 4. तहसीलदार सोजत जिला पाली।

राजस्व प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 सपठित आदेश 39 नियम 1 व 2 सपठित धारा 151 सी.पी.सी.

उपस्थितिः—

1. श्री ओमप्रकाश राजपुरोहित अधिवक्ता प्रार्थी उपस्थित।
2. श्री श्यामसिंह दहिया. अधिवक्ता अप्रार्थीगण उपस्थित।

—: निर्णय :— दिनांक — 07/08/2023

अधिवक्ता मय प्रार्थी प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत विरूद्ध अप्रार्थी प्रस्तुत कर निवेदन किया कि सरहद मौजा पांचवा कला में स्थित खाता नंबर 209 में स्थित खसरा नंबर 63 रकबा 54 ऐयर, खसरा नंबर 431 रकबा 1.58000 है0, खसरा नंबर 769 रकबा 1.0200 है0, खसरा नंबर 772 रकबा 71 ऐयर किस्म बारानी प्रथम के प्रार्थीगण खातेदार काश्तकार है व पीढीयो से उक्त कृषि भूमि पर कब्जा काश्त होने से शांतिपूर्वक काश्त कर रहे हैं। खसरा नंबर 431 रकबा 1.5800 है0 किस्म बारानी प्रथम कृषि भूमि खातेदारी की है। उक्त खसरा के दक्षिण दिशा की ओर जो पूर्व से पश्चिम चलता है जो 100 वर्षो से अधिक समय से इसी स्थान पर कायम रहने तथा राजस्थान काश्तकारी अधिनियम लागु होने पर राजस्व रेकर्ड में उक्त आम रास्ता 15 फुट का चौड़ा पूर्व से पश्चिम लम्बाई में आगे खेतों में जाता है। उक्त रास्ते के उत्तर दिशा की ओर प्रार्थीगण का खसरा नंबर 431 स्थित हैं जिसकी पूर्व से पश्चिम माठ पर 100 वर्षो से अधिक समय से धोरापाली लगा हुआ है एवं पेड़ लगे हुये हैं। उक्त धोरापाली 100 वर्षो से हमारे पूर्वजो द्वारा काश्त करते समय दिया जो आज दिन तक उसी स्थान पर हैं। हम प्रार्थीगण के उक्त खेत के आगे रास्ते के आगे दक्षिण दिशा में खसरा नंबर 484 अप्रार्थी संख्या 2 सूजाराम का स्थित है। जिसकी भी उत्तरी माठ 100 वर्षो से अधिक समय से धोरापाली लगाकर 100 वर्षो से अधिक समय से वहा पेड़ पौधे लगे हुये है जो आज भी मौजुद हैं। इस प्रकार राजस्व रेकर्ड में उक्त रास्ता पीढ़ीयों से एवं काश्तकारी अधिनियम लागू होने के समय से नियमित रूप से चल रहा है। उक्त रास्ते बाबत डूंगरसिंह अप्रार्थी संख्या 1 ने अप्रार्थी संख्या 2 सुजाराम के साथ मिलावट कर अप्रार्थी संख्या 3 मोहन कुम्हार का जे.सी.बी. लगाकर बिना किसी अधिकारिता के प्रार्थीगण की खातेदारी कृषि भूमि दक्षिणी पूर्वी हिस्से पर जे.सी.बी. लगाकर करीबन 30 फुट मेड़बंदी तोड़कर 100 वर्षो से अधिक समय से लगे पेड़ उखाड़कर 15–20 हजार रूपये का नुकसान पहुचाया है व जबरदस्ती अतिक्रमण कर अपनी मनमर्जी से बिना किसी विधिक अधिकारिता के रास्ता निकालने हेतु 32 फुट चौड़ा रास्ता स्वयं की मर्जी से जबरदस्ती निकाल रहा है जिसका उसको कोई अधिकार नहीं है।

उपखण्ड अधिकारी
सोजत, जिला–पाली

खातेदारी कृषि भूमि एवं रास्ते बाबत एवं राजस्व रेकर्ड में किसी प्रकार का परिवर्तित करने का अधिकार अप्रार्थीगण संख्या 1 से 3 को नहीं होने से एवं राजस्व रेकर्ड के अनुरूप कृषि भूमि एवं रास्ते से संबंधित अधिकार अप्रार्थी संख्या 4 में निहित होने के कारण प्रार्थीगण की खातेदारी भूमि में तोड़फोड़ कर धोरापाली तोड़कर वृक्ष जबरदस्ती मना करने पर भी निकालकर नुकसान पहुचाने की अधिकारिता नहीं होने के कारण उसके विधि विरूद्ध कार्यो को रोकने हेतु यह प्रार्थना पत्र अप्रार्थीगण के विरूद्ध प्रस्तुत है। रास्ते संबंधी नाप चौक एवं उसमें परिवर्तन करने का अधिकार राज्य सरकार में निहित होने के कारण ग्राम पंचायत पांचवा कलां को कोई विधिक अधिकारिता नहीं होने एवं पंचायत के नाम पर अप्रार्थी सख्या 1 से 3 द्वारा कानून अपने हाथ में लेकर प्रार्थीगण के खातेदारी हक हकुक की कृषि भूमि में अनाधिकृत रूप से प्रवेश कर नुकसान पहुचाकर अपराधिक कृत्य किये जाने के कारण तथा मौके पर विधि विरूद्ध कार्य को रोकने हेतु प्रार्थीगण अपनी खातेदारी कृषि भूमि की रक्षा हेतु सुरक्षा का कार्य करने पर पक्षकारान के बीच भारी वाद विवाद होने, मौके पर शांति भंग होने तथा कई प्रकार की पेचिदगीया होने के कारण अप्रार्थीगण के उक्त विधि विरूद्ध कार्य को रोकने हेतु यह प्रार्थना पत्र उनके विरूद्ध प्रस्तुत किया जा रहा है। प्रार्थीगण का खातेदारी अधिकारिता होने से खातेदार काश्तकार होने के कारण उनका प्रथम दृष्टया मामला है, सुविधा का संतुलन का मामला प्रार्थीगण के पक्ष में है एवं अप्रार्थीगण के विधि विरूद्ध कार्य से अपूर्तनीय क्षति होने के कारण सभी अप्रार्थीगण को वाद के अंतिम निर्णय तक जरिये अस्थाई निषेधाज्ञा रोके जाने हेतु यह प्रार्थना पत्र अप्रार्थीगण के विरूद्ध प्रस्तुत है। प्रार्थीगण के पक्ष में अस्थाई निषेधाज्ञा का आदेश पारित नहीं किये जाने की स्थित में वाद का मकसद ही समाप्त हो जायेगा एवं पक्षकारान के बीच विभिन्न प्रकार की पेचिदगीया होने से भंयकर जनधन की हानि होने की संभावना प्रबल होने से तत्काल अस्थाई निषेधाज्ञा पारित किये जाने की स्थिति में अप्रार्थीगण को किसी प्रकार की क्षति एवं असुविधा नहीं होगी इन परिस्थितियो में यह प्रार्थना पत्र प्रथम दृष्टया सफल होने के कारण अनुतोष दिलवाया जाना आवश्यक एवं न्याय संगत हैं। इस प्रकार अधिवक्ता मय प्रार्थी ने प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार कर प्रार्थना पत्र में वर्णित खसरा नंबर 431 की दक्षिणी माठ के आगे पूर्व से पश्चिम राजस्व रेकर्ड के अनुरूप आम रास्ते की चौड़ाई 15 फुट कदिम से अनगिनत वर्षो से चलने के कारण उक्त रास्ते की यथावत रखने एवं प्रार्थीगण की खातेदारी की कृषि भूमि की मेड़बंदी तोड़ने व वृक्षो को तोड़ने से रोकने हेतु अप्रार्थीगण को जरिये अस्थाई निषेधाज्ञा रोके जाने के आदेश पारित फरमाये जाने की ईश्तदुआ की है।

इस पर राजस्व प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्ट्रर किया जाकर अप्रार्थीगण को जरिए नोटिसेज वास्ते जबाब प्रा0 पत्र तलब किया गया। अप्रार्थी सं0 01 व 02 की ओर से अधिवक्ता श्री श्यामसिंह दहिया ने वकालतानामा पेश किया, सा.मि. किया गया। अप्रार्थी संख्या 03 की ओर अधिवक्ता श्री कानाराम सांखला ने वकालतनामा पेश किया, सा.मि. किया गया। तहसीलदार सोजत ने मौका रिपोर्ट मय नजरी नक्शा पत्रांक/राजस्व/19/2096 दिनांक 01.05.2019 द्वारा प्रस्तुत की है, सा.मि. की गई। दिनांक 02.11.2020 को अप्रार्थी संख्या 1 से 3 की ओर से अधिवक्ता अप्रार्थी द्वारा जवाब प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन किया

उपखण्ड अधिकारी
सोजत, जिला-पाली

कि प्रार्थना पत्र का पद संख्या 1 का जवाब इस प्रकार है कि प्रार्थीगण ने उक्त अनवान प्रकरण का मूल वाद गलत एवं झूठे तथ्यों के आधार पर प्रस्तुत किया है, जिसमें प्रार्थीगण को कतई सफलता मिलने की उम्मीद नहीं है। प्रार्थना पत्र के पद संख्या 2 का जवाब इस प्रकार है कि उक्त पैरा में वर्णित कृषि भूमि प्रार्थीगण की है अथवा नहीं है, अप्रार्थीगण को जानकारी नहीं है, प्रार्थीगण स्वयं साबित करे। वादपत्र के पद संख्या 2 का जवाब इस प्रकार है कि खसरा नंबर 431 की भूमि अवश्य आयी हुई तथा खसरा नंबर 431 व 484 के बीच आने जाने हेतु आम रास्ता है, खसरा नंबर 431 के दक्षिण दिशा में आम रास्ते की भूमि पर प्रार्थीगण अतिक्रमण किया, व अतिक्रमण को कायम रखने हेतु उक्त झूठे तथ्यों को आधार बनाकर वाद व प्रार्थना पत्र पेश किया। प्रार्थना पत्र के पद संख्या 4 का जवाब यह है कि एमजी नरेगा के तहत ग्रेवल सड़क का निर्माण कार्य उक्त वादग्रस्त रास्ते पर किया जा रहा था, तथा प्रार्थीगण का उक्त वादग्रस्त रास्ते पर अतिक्रमण होने से सड़क बनाने में व्यवधान होने लगा, तब ग्रामवासियों ने उक्त वादग्रस्त रास्ते से प्रार्थीगण को अतिक्रमण हटाने हेतु निवेदन किया, लेकिन प्रार्थीगण नहीं माने व उक्त प्रार्थना पत्र झूठे तथ्यों को आधार बनाकर अतिक्रमण कायम रखने हेतु पेश किया, तब ग्रामवासियों द्वारा तहसीलदार सोजत को वादग्रस्त रास्ते का सीमाकंन करने हेतु निवेदन किया, जिस पर दिनांक 06.02.2019 को पटवार हल्का को तहरीर जारी की व पटवारी हल्का ने सीमांकन रिपोर्ट दिनांक 10.02.2019 को वादग्रस्त रास्ते की पेश की, तत्पश्चात् दिनांक 01.05.2019 को हाजा न्यायालय में भी राजस्व विविध प्रकरण संख्या 13/2019 में वादग्रस्त रास्ते की भूमि का सीमाकंन हेतु निवेदन किया, जिस पर दिनांक 01.05.2019 को तहरीर पटवारी हल्का द्वारा जारी हुई व पटवारी हल्का ने अपनी रिपोर्ट दिनांक 07.06.2019 को पेश की, जिसमें भी वादग्रस्त रास्ते पर प्रार्थीगण का अतिक्रमण बताया गया तथा तहसीलदार सोजत व प्रशासन द्वारा वादग्रस्त रास्ते से अतिक्रमण हटाकर ग्रेवल सड़क का निर्माण किया जा चुका है। इस प्रकार प्रार्थना पत्र का उक्त पद गलत होने से अस्वीकार है। प्रार्थना पत्र का पद संख्या 5 का जवाब यह है कि तहसीलदार सोजत ने विधिक प्रकिया अपनाकर प्रशासन के साथ रहकर वादग्रस्त रास्ते से प्रार्थीगण द्वारा किये गये अतिक्रमण को हटाया जाकर ग्रेवल सड़क का निर्माण किया जा चुका है। इस प्रकार प्रार्थना पत्र का उक्त पद गलत होने से अस्वीकार है। प्रार्थना पत्र का पद संख्या 6 गलत होने से अस्वीकार है। प्रथम दृष्टया मामला, सुविधा का संतुलन प्रार्थीगण के पक्ष में नहीं है, क्योंकि प्रार्थीगण ने आम रास्ते की भूमि पर अतिक्रमण किया है, जो प्रशासन द्वारा हटाया जा चुका है तथा ग्रेवल सड़क का निर्माण कार्य ग्राम पंचायत द्वारा करवाया जा चुका है। इस प्रकार प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र सव्यय खारिज फरमाये जाने की ईश्तदुआ की है।

बहस प्रा0पत्र अन्तर्गत धारा 212 आर0टी0एक्ट 1955 वकुलाय सुनी गई एवं समायत की गई। बहस के दौरान अधिवक्ता प्रार्थीगण ने व्यक्त किया कि अधिवक्ता मय प्रार्थी ने प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार कर प्रार्थना पत्र में वर्णित सरहद मौजा पांचवा कला में स्थित खाता नंबर 209 में स्थित खसरा नंबर 63 रकबा 54 ऐयर, खसरा नंबर 431 रकबा 1.58000 है0, खसरा नंबर 769 रकबा 1.0200 है0, खसरा नंबर 772 रकबा 71 ऐयर

उपखण्ड अधिकारी
सोजत, जिला-पाली

किस्म बारानी प्रथम कब्जा काश्त में बेदखली करने एवं उक्त भूमि को खुर्द बुर्द कर भौतिक स्वरूप में परिवर्तन करने तथा रेकर्ड व मौके की स्थिति को बदलने से रोकने एवं अप्रार्थीगण को बेचान करने से रोकने हेतु मूल वाद के निर्णय तक अप्रार्थीगण को जरिये अस्थाई निषेधाज्ञा से रोका जावे। जवाब बहस में अधिवक्ता अप्रार्थी ने निवेदन किया कि में अधिक्ता अप्रार्थीगण ने बहस के दौरान व्यक्त किया कि खसरा नंबर 431 व 484 के बीच आने जाने हेतु आम रास्ता है, खसरा नंबर 431 के दक्षिण दिशा में आम रास्ते की भूमि पर प्रार्थीगण अतिक्रमण किया, व अतिक्रमण को कायम रखने हेतु उक्त झूठे तथ्यों को आधार बनाकर वाद व प्रार्थना पत्र पेश किया। प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र सव्यय खारिज फरमाये जाने की ईश्तदुआ की है।

पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया। अधिवक्ता मय प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 आर0टी0एक्ट 1955 दस्तावेजात का गहनतापूर्वक अध्ययन कर बहस वकुलाय पर गौर कर मनन किया गया। प्रार्थी अपने खातेदारी कृषि भूमि खसरा नम्बर 431 के दक्षिणी माठ पर स्थित रास्ते को यथावत रखे जाने एवं प्रार्थी की कृषि भूमि की मेडबंदी तोडने व वृक्षो को तोडने से अप्रार्थीगण को रोकने की ईश्तदुआ की है। जबकि अप्रार्थीगण द्वारा बताया गया है कि प्रार्थीगण स्वयं ने उक्त रास्ते की भूमि पर अतिक्रमण कर रखा है। रास्ते की भूमि पर यथा स्थिति का आदेश किया जाना वर्तमान परिपेक्ष्य में न्यायोचित प्रतित नही होता है। लिहाजा प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र खारिज किया जाना उचित समझते है।

आदेश

अतः अधिवक्ता मय प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत **राजस्व प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 सपठित आदेश 39 नियम 1 व 2 सपठित धारा 151 सी.पी.सी का पोषणीय नही होने से खारिज किया जाता है। पत्रावली फैशल शुमार होकर** नम्बर से कम हो। बाद तकमील जाब्ता मूलवाद के साथ नत्थी हो।

(गोपाल जांगिड)
उपखण्ड अधिकारी, सोजत

यह निर्णय आज दिनांक 07/08/25 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर बाद हस्ताक्षर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(गोपाल जांगिड)
उपखण्ड अधिकारी, सोजत